न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/34/2021 वाद दायर दिनांक 14.06.2021

उनवान

1. मु0 नारायणी देवी पत्नी मदनलाल जाति धोबी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. बालु पुत्र नन्दा जाति सालवी आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. तहसीलदार, कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री पवन शर्मा —वादीगण
एकतरफा —प्रतिवादी

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 04.08.2023

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में खाता संख्या 1000 के आराजी नं0 4167 रकबा 0.95 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.95 है0 में से वादीया का 3/4 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा निहित है।

यह कि उपरोक्त आराजीयात में वादीया अपने 3/4 हक हिस्से पर काबिज होकर निरन्तर निर्विरोध शान्तिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है मौके पर हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रही है वादीया ने अपने हिस्से कब्जे की आराजीयात पर जल स्त्रोत हेतु ट्यूबवैल लगा रखा है एवं वादीया निरन्तर निर्विरोध शान्तिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है। प्रतिवादी एवं उसके परिवारजन वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है फसल में बकरिया आदि प्रवेश करा फसल को नुकसान पहुंचाते है वादीया अपने हक हिस्से कब्जे की आराजीयात के पुख्ता तारबन्दी कर आराजीयात की सुरक्षा करना चाहती है जिसके लिए प्रतिवादी बालु से विभाजन के लिए आग्रह किया जिस पर प्रतिवादी बालु एवं उसके परिवारजन ने अनावश्यक विवाद कर लडाई झगडा करने पर आमादा हुए अतः वादीया को वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात संख्या 4167 रकबा 0.97 है0 का 3/4 हिस्सा विभाजन करा तनाह राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादीया के नाम तनाह दर्ज कराया जाना आवश्यक है विभाजन किये जाने से प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार की हानि नहीं है, विभाजन नहीं होने से वादीया को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति मुल्यों में सम्भव नहीं है।

वादीया एवं प्रतिवादी के बीच विभाजन नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर फसल को नुकसान पहुचाते है जिससे प्रतिवादी एक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना आवश्यक है, कि प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवारजन नौकर एजेण्ट वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे फसल को नुकसान नहीं पहुचावे, तारबन्दी करने से नहीं रोके। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी संख्या एक को कोई हानि नहीं है स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से वादीया को अपार क्षति होगी एवं मुकदमेबाजी बढेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:00:50 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि वादीया ने प्रतिवादी से दिनांक 24.05.2021 को विभाजन हेतु आग्रह किया तो प्रतिवादी विवाद करने पर आमादा हुआ विभाजन करने से मना कर दिया जिससे बिनाय दावा विभाजन दिनांक 24.05.2021 को पैदा हुई। यह कि बिनाय वाद पत्र दिनांक 24.05.2021 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का विभाजन करा वादीया का 3/4 हिस्सा वादीया के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में तनाह दर्ज कराये जाने की डिक्री बहक वादीया, खिलाफ प्रतिवादी संख्या एक सादीर फरमाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 19.07.2022 को बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। उक्त वाद पत्र में दिनांक 26.08.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा दिनांक 06.04.2023 को बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी व आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। व एकरतफा बहस बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी।

सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट का अवलोकन किया। बटवाडा रिपोर्ट पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। अतः आज दिनांक 04.08.2023 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में खाता संख्या 1000 के आराजी नं0 4167 रकबा 0.95 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.95 है0 में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 06.04.2023 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. नारायणी देवी पत्नि मदनलाल जाति धोबी सा0 कपासन खातेदार रहन युनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कपासन

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	4167/1	0.7125	बी0 2
योग	कुल किता–1	0.7125	

2. बालू पिता नन्दा जाति सालवी सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	4167/2	0.2375	बी0 2
योग	कुल किता– 1	0.2375	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:00:50 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official